

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

समाहरणालय भवन ए. ब्लॉक कमरा संख्या- 113 कचहरी रोड राँची- पिन 834001

प्रमाणित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई) के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता हेतु विवेकानन्द विद्या मंदिर, सेक्टर- 2 जगन्नाथनगर, धुर्वा, राँची का प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विद्यालय में आर.टी.ई. के अंतर्गत नियमानुसार छात्र/छात्राओं का नामांकन लिया जाता है।

आर.टी.ई. के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह०/-

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई.
राँची।

ज्ञापांक.....3217...../राँची, दिनांक 28.9.2022/

प्रतिलिपि:- उप सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, विवेकानन्द विद्या मंदिर, सेक्टर- 2 जगन्नाथनगर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

सुषमा
28/09/22

28/9/22